

N-11011/478/2017-HFA IV (E-9021400)
Government of India
Ministry of Housing & Urban Affairs
(HFA-IV Section)

Nirman Bhawan, New Delhi - 110011

Dated: 27th June, 2019

To,

1. The Principal Secretaries/Secretaries (States/UTs as per list attached).
2. The Chairman & Managing Director, Housing and Urban Development Corporation Ltd., HUDCO Bhawan, Core-7A, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003
3. The Managing Director & CEO, National Housing Bank, Core-5A, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003.

Subject: Amendment in guidelines of Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) Mission-regarding.

Sir/Madam,

In continuation of this Ministry's letter No. N-11011/478/2017-HFA-IV/E-9021400 dated 05.01.2019, I am directed to say that the Sub-Para under Para 5.12 of the PMAY (U) Guidelines have further been amended as under:

Para No.	Existing paragraph/sub-paragraph	Amended Paragraph/sub-paragraph
5.12	Till 30.06.2019 , instead of taking NOC from States/UTs, CNAs, on behalf of PLIs, would send list of EWS beneficiaries under CLSS on fortnightly basis to concerned States / UTs. Concerned States / UTs will consider this list, while deciding beneficiaries under other three verticals of the Mission, so that no beneficiary is granted more than one benefit under the Mission.	Till 31.12.2019 , instead of taking NOC from States/UTs, CNAs, on behalf of PLIs, would send list of EWS beneficiaries under CLSS on fortnightly basis to concerned States / UTs. Concerned States / UTs will consider this list, while deciding beneficiaries under other three verticals of the Mission, so that no beneficiary is granted more than one benefit under the Mission.

2. The amendment may please be further communicated to Primary Lending Institutions (PLIs).
3. This issues with the approval of the component authority.

Yours faithfully,



(Rishi Kumar)
Director (HFA-IV)
Tel: 23062272

Copy to:

1. Dy. Chief MIS, with a request to upload this on the Ministry's website immediately.
2. Sh. Kanha Godha, PMU, Nirman Bhawan.

Copy for information to:

1. PS to HUAM.
2. PSO to Secretary (HUA).
3. PPS to JS & MD (HFA).
4. PS to JS & FA
5. Dir (HFA-I); Dir (HFA-V), DS (HFA-III).



(Rishi Kumar)
Director (HFA-IV)

एन-11011/478/2017-एचएफए IV (ई-9021400)

भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(एचएफए IV विभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011

दिनांक: 27 जून, 2019

सेवा में,

1. प्रधान सचिव/सचिव (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, संलग्न सूची के अनुसार)
2. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमि., हडको भवन, कोर-7ए, इंडिया हैबिटेड सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
3. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नेशनल हाउसिंग बैंक, कोर-5ए, इंडिया हैबिटेड सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

विषय: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन के दिशानिर्देशों में संशोधन के संबंध में।

महोदय/महोदया,


इस मंत्रालय के दिनांक 05.01.2019 के पत्र सं0 एन-11011/478/2017-एचएफए-IV/ई-9021400 के क्रम में, मुझे, यह कहने का निदेश हुआ है कि पीएमएवाई(यू) दिशानिर्देशों के पैरा 5.12 के अंतर्गत उप पैरा में निम्नलिखित और संशोधन किए गए हैं:

पैरा सं0	वर्तमान पैरा/उप-पैरा	संशोधित पैरा/उप-पैरा
5.12	<p>30.06.2019 तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनापति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बजाए प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों की ओर से, केंद्रीय नोडल एजेंसियां, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पाक्षिक आधार पर सीएलएसएस के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों की सूची भेजेगी। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मिशन के तीन अन्य कार्यक्षेत्रों के अंतर्गत लाभार्थियों के संबंध में निर्णय लेते समय इस सूची पर विचार करेंगे ताकि किसी भी लाभार्थी को मिशन के अंतर्गत एक से अधिक लाभ प्राप्त न हो।</p>	<p>31.12.2019 तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनापति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बजाए प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों की ओर से, केंद्रीय नोडल एजेंसियां, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पाक्षिक आधार पर सीएलएसएस के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों की सूची भेजेगी। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मिशन के तीन अन्य कार्यक्षेत्रों के अंतर्गत लाभार्थियों के संबंध में निर्णय लेते समय इस सूची पर विचार करेंगे ताकि किसी भी लाभार्थी को मिशन के अंतर्गत एक से अधिक लाभ प्राप्त न हो।</p>

2. इस संशोधन की सूचना प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों (पीएलआई) को दी जाए।

जारी...

3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय


(ऋषि कुमार)

निदेशक(एचएफए IV)

दूरभाष: 23062272

प्रति:

1. उप प्रमुख, एमआईएस को मंत्रालय की वेबसाइट पर शीघ्रतिशीघ्र अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
2. श्री कान्हा गोधा, पीएमयू, निर्माण भवन

सूचना हेतु प्रति:

1. आवासन और शहरी कार्य मंत्री के निजी सचिव
2. सचिव (आवासन और शहरी कार्य) के पीएसओ
3. संयुक्त सचिव एवं प्रबंध निदेशक (एचएफए) के प्रधान निजी सचिव
4. संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के निजी सचिव
5. निदेशक (एचएफए-I), निदेशक (एचएफए-V), उप सचिव (एचएफए-III)



(ऋषि कुमार)

निदेशक(एचएफए IV)